न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—59 / 2018 (2018 / 00146) वाद पत्र

अनवान

1—भैरूलाल आत्मज बन्ना गोद पुत्र मन्दरूप गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिए श्रीमान् जिलाधीश महोदय भीलवाडा

2—तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी

उपस्थित

1. जगदीश चन्द्र व्यास — वादी अधिवक्ता
2. राजकीय पैरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः—28 / 12 / 2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 467 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि नन्दा पिता श्रीराम नट के नाम पर संवत 2009 में दर्ज थी। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। वाद वर्णित कृषि भूमि संवत् 2033 में नन्दा के बजाय उसके पुत्र बगतावर पिता नन्दा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। जमाबन्दी की नकल वाद पत्र के साथ पेश है। वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 467 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वादी के गोद पिता स्व. मन्दरूप पिता महाराम जी गुर्जर द्वारा खातेदार स्व. बगतावर पिता नन्दा जी नट निवासी सगरेव से बिलएवज 91 / रूपयों में संवत् 2010 जेठ बुदी 3 तीज दिनांक 31.05.1953 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया, तब से ही वादी के पिता मन्दरूप जी व उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी का कब्जा बिना किसी रोक टोक के शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। विक्रयपत्र की सत्यप्रति वाद पत्र के साथ पेश की है। वाद वर्णित आराजी का नामान्तकरण दिनांक 26.03.1983 को ग्राम पंचायत द्वारा वादी के पिता स्व० मन्दरूप जी के नाम पर निर्णित कर दिया गया था लेकिन पटवार हल्का थला तहसील रायपुर द्वारा यह नोट लगाकर अगल दरामद रोक दिया कि नामान्तरण पंचायत से निर्णित होने के बजाय श्रीमान् तहसीलदार सा० द्वारा किया जाना था परन्तु पंचायत ने निर्णित कर दिया। अतः इसका अमल दरामद नहीं किया गया। नामान्तरण की सत्य प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। ग्राम मोखमपुरा तहसील रायपुर में पैमाईश हो जाने से पुरानी आराजी संख्या 467 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 1107 रकबा 0.45 हैक्टेयर बने मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेस की नकल वाद पत्र के साथ पेश है। वाद वर्णित कृषि आराजी पर वादी के पिता एवं मेरा विगत 60 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, जिससे वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी का एडवर्स पजेशन हो चुका है। वादी द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि का वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने बाबत दिनांक 25.04.2018 को [illegible] द्वारा नियमानुसार प्रतिवादीगणों को 2 का रजिस्टर्ड सूचना पत्र दिया गया [illegible] .05.2018 को प्राप्त हो गये। नोटिस की नकल एवं प्रतिवादीगण को [illegible] प्राप्ति की [illegible] वाद पत्र के साथ पेश है। वादी द्वारा प्रतिवादीगणों को रजिस्टर्ड सूचना पत्र देने के पश्चात दिनांक 01.06.2018 को रा[illegible] कैम्प थला में मय दस्तावेज के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 1107 [illegible].45 हैक्टेयर का नामान्तरण खुलवाने बाबत् पेश किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 को पटवार हल्का थला से दिनांक 17.05.2018 को रिपार्ट मय मौका पर्चा, मौका स्थिति की जाँच रिपोर्ट पेश कर दी थी, फिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:27 IST
Reason: SelfAttested

भी नामान्तकरण वादी के पक्ष में निर्णित नहीं किया। पटवार हल्का थला की रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपियाँ बाद पत्र के साथ पेश है। वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 1107 रकबा 0.45 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी में बख्तावर पिता नन्दा नट के नाम पर दर्ज है जबकि बख्तावर की मृत्यु वर्षो पहले ही हो चुकी है तथा मृतक के कोई वारिसान भी नहीं है, जिससे खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि ग्राम मोखमपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्के में स्थित कृषि आराजी संख्या 1107 रकबा 0.45 है0 कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्रदान कराई जाय।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 21/08/2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार रायपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत जिसमें निवेदन किया कि वाद पत्र के कॉलम संख्या 2 के अनुसार ग्राम मोखमपुरा के बैरून हल्का आबादी में दर्ज आराजी संख्या 467 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि नन्दा पिता श्रीराम नट के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो खातेदार अनुसूचित जाति की श्रेणी का सदस्य है वर्तमान में भूमि विरासत से उसके पुत्र बख्तावर पिता नन्दा नट के नाम दर्ज है। वादी द्वारा एक अनरजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर वाद पेश किया है जिसमें वादी केता जाति से गुर्जर है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी का सदस्य नही होकर अन्य जाति का सदस्य है जो मूलतः ही उक्त वाद धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरीत पेश किया है जो कानूनन सही नही है। वादी के पक्ष में दिनांक 26.03 1983 को जो नामान्तकरण दर्ज किया गया वो अनरजिस्टर्ड खत बख्तावर द्वारा लिखा गया है जबकि उस समय बख्तावर का नाम को कोई खातेदार नही था उक्त दस्तावेज बनावटी तैयार किया गया है, किसी स्टाम्प पर नही होकर आम कागज पर है जबकि मेवाड़ रियासत में जो भी लिखापढ़ी होती थी वह स्टाम्प पर होती थी जो नही होकर बनावटी तैयार की गई है। वादी द्वारा जो लिखापढ़ी पेश की उसमें केता का नाम मन्दरूप पिता महाराम गुर्जर लिखा गया जबकि वाद भंवरलाल की ओर से पेश किया गया जो एक अन्य व्यक्ति है इस आराजी से सम्बन्ध व सरोकार नही है और न इस वाद बाबत् कोई दस्तावेज है। वादी एक तरफ तो विकय पत्र को आधार पर खातेदारी की घोषणा चाह रहा है तथा दुसरी तरफ एडवर्स पशेजन के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाह रहा है जो विरोधाभाषी तथ्य है। वादवर्णित भूमि में वादी अपना कब्जा 60 वर्षो से अधिक होना लिखा है जबकि इस बाबत् कोई दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह प्रकट होता है कि वादी का अगर कब्जा वादवर्णित भूमि पर था तो किस हैसियत से था। वादी द्वारा खातेदार नन्दा की एवं बख्तावर की मृत्यु होना अकिंत किया लेकिन यह स्पष्ठ नही किया कि मूल खातेदार कब फोत हुआ उसके बाद बख्तावर कब फोत हुआ वर्तमान में बख्तावर के कोन वारीस है यह स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये जो नही लिखा। वादी द्वारा वाद में मनगढ़त तथ्य लिखे है जिनके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त वाद कानून को ताक में रखते हुए व प्रचलित कानून के विपरीत न्यायालय को अन्धरे में रखते हुए क्लीन हैण्ड से वाद प्रस्तुत नही किया जिससे वाद आगे चलने योग्य नही होने से इसी स्टेज पर खारीज करना फरमावे।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत [illegible] आदेश 7 नियम 11 का जवाब वादी अधिवक्ता के द्वारा दिया गया जिसमें [illegible] किया [illegible] विकय पत्र में तादादि राशि 91/–रूपये अकिंत है जिसे पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था [illegible] पत्र राजस्थान टेंनेसी एक्ट लागु नही होने पूर्व का है पूर्व के विकय पत्रो पर धारा 42 लागू नही होती हैं। वादी के गोद पिता द्वारा स्व. खातेदार बख्तावर नट से कय कर कब्जा प्राप्त किया जिसको काफी वर्ष हो चुके है साक्ष्य अधिनियम के तहत् 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को ग्रहण किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थना पत्र में मनमकसुद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:27 IST
Reason: SelfAttested

तरीके से तथ्य अकिंत किये गये जो खारीज होने योग्य है। विक्रय पत्र वादी के गोद पिता मन्दरूप के नाम का है वादी का नाम भंवरलाल नही होकर भैरूलाल है। वादवर्णित तथ्य साक्ष्य पर आधारित है ओर इसी के साथ अपना कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा वाद में जवाबदावा प्रस्तुत नही कर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारीज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की ताहिद मे शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार के द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल रूप से खातेदार अनुसूचित जाति का सदस्य है और वादी अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य नही होकर अन्य जाति से सम्बधित है जो मूल रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विपरीत वाद पेश किया गया है जिससे वादी किसी भी तरह से सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया जो उचित नही है। प्राथमिक स्तर पर वाद को खारीज नही किया जा सकता है। इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आरआरडी 2017 पेज 273, आरआरडी 1992 पेज 114, आरआरडी 1996 पेज 414 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन किया जिसमे वादी द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने का वाद पेश किया है वादी अनुसूचित जाति की श्रेणी का व्यक्ति नही होकर अन्य जाति की श्रेणी का व्यक्ति है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में वर्णित तथ्य कानुनी है। वादी भैरूलाल क्रेता मन्दरूपजी का किस तरह विधिक वारीस है उससे सम्बधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। मौके पर कब्जा होना यह प्रमाणित नही करता है कि वादी उसका विधिक वारीस है मुख्य रूप से जो वाद पेश किया गया है वो धारा 42 के विपरीत है। वादी अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये उसमें वाद को प्राथमिक स्तर पर इस आधार पर खारीज नही कर तनकियात कायम करते हुए निर्णय विधिसमत निर्णय पारित करने के निर्देश हैं। इस प्रकरण में वादी मुल क्रेता नही होकर अन्य व्यक्ति गोदपुत्र की हैसियत वाद पेश किया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की सुची में गोदपुत्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज वादपत्र मे प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वादी का वादवर्णित आराजियात से कोई सरोकार नही होकर वादी अजनबी व्यक्ति (Stranger Person) है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दिवानी स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:27 IST
Reason: SelfAttested

28.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा